राजस्थान सरकार

स्वायत्त शासन विभाग राजस्थान

जी–3, राजमहल रेजीडेन्सी एरिया, सिविल लाईन फाटक के पास, जयपुर

Phone & Fax:-0141- 2222403/2223239 web:- www.lsgraj.org E-mail ID:-dlbrajasthan@gmail.com

कमांक एफ (55)/सीई/डीएलबी/एमजेएसए –II/18/53255–536 दिनांक 22/6/18

1. जिला कलक्टर (समस्त)

2. क्षेत्रीय उपनिदेशक (समस्त),
स्वायत्त शासन विभाग

3. आयुक्त/अधिशाषी अधिकारी
नगर निगम/परिषद्/पालिका (समस्त)

विषयः–मुख्यमंत्री जल स्वावलम्बन अभियान (नगरीय) द्वितीय चरण के अन्तर्गत वनीकरण कार्य हेतु भूमि अनुपलब्धता की स्थिति में नगरीय निकायों द्वारा वृक्षारोपण करने बाबत्।

संदर्भः–विभागीय पत्र कमांक 29936–969 दिनांक 13.12.2017 एवं 16664–16952 दिनांक 07.03.2018

जैसा कि आपको विदित है मुख्यमंत्री जल स्वावलम्बन अभियान ~~राज्य~~ सरकार की एक महत्वपूर्ण फ्लैगशिप योजना है, जिसकी मॉनिटरिंग माननीया मुख्यमंत्री महोदया एवं माननीय अध्यक्ष, राजस्थान नदी बेसिन एवं जल संसाधन प्राधिकरण के स्तर पर की जाती है। इस कम में दिनांक 13.06.2018 को आयोजित राज्य स्तरीय निर्देशन समिति की बैठक में माननीय अध्यक्ष, राजस्थान नदी बेसिन एवं जल संसाधन प्राधिकरण द्वारा निर्देशित किया गया है कि जिन शहरों में वनीकरण कार्य हेतु भूमि चिन्हित नहीं की जा सकी है वहां पर नगर निकाय/न्यास/विकास प्राधिकरण द्वारा अपने स्तर पर किये जाने वाले वृक्षारोपण कार्यों की तकमीने सहित सूचना राजस्थान नदी बेसिन एवं जल संसाधन प्राधिकरण को अविलंब प्रस्तुत करें। चूंकि राज्य स्तरीय निर्देशन समिति की आगामी बैठक दिनांक 27.06.2018 को निर्धारित है, अतः उक्त सूचना दिनांक 26.06.2018 सांय 04:00 बजे तक निदेशालय स्वायत्त शासन विभाग को भिजवाना सुनिश्चित करें। आपके सुलभ संदर्भ हेतु इस पत्र के साथ एक प्रपत्र संलग्न कर भिजवाया जा रहा है, जिसमें सभी वांछित सूचनाऐं नगर/जिले स्तर पर तैयार कर दी जानी है।

निम्न बिन्दुओं को दृष्टिगत रख प्रपत्र में चाही गयी सूचना के मुख्य घटक 'वृक्षारोपण कार्य का तकमीना' तैयार किया जाना सुनिश्चित करें:

1. तकमीने में पौधे की कीमत वन विभाग द्वारा निर्धारित दर रू. 1.00 प्रति पौधा ली जावें।
2. पौधे रोपित किये जाने वाले संरक्षित क्षेत्रों (Protected Areas) यथा स्टेडियम/शिक्षण संस्थान/चिकित्सालय/पार्क/राजकीय भवन/कार्यालय/बस शेल्टर/औधोगिक क्षेत्र/मोक्ष धाम/धार्मिक स्थल आदि से 5 वर्ष के रख–रखाव हेतु सहमति प्राप्त किया जाना अनिवार्य है।
3. इसके अतिरिक्त नगर निकायों की परिधि (Periphery) में 5–6 किलोमीटर तक महत्वपूर्ण सड़को के किनारे दोनो ओर, मध्य (Median) रोटेरी आदि स्थानों पर लगाये गये वृक्षों की यथा संभव फेन्सिंग की जाये, जिससे निगरानी एवं सुरक्षा पर किया जाने वाला व्यय न्यूनतम हो सके।
4. शहरी वनीकरण के तहत पौधारोपण में स्थानीय प्रजातियों को प्राथमिकता देते हुए अन्य प्रजातियां यथा गुलमोहर, अमलतास, पलास, रोहिड़ा, कदम्ब, कचनार, नीमचमेली, कसियाश्यामा, गौलश्री, नीम, शीशम एवं जैकरण्डा इत्यादि लगाये जा सकते है। इसके साथ ही अंडरस्टोरी वनस्पति के रूप में विभिन्न रंगों वाली बोगेनविलिया इत्यादि भी रोपित की जा सकती है।
5. क्षेत्र विशेष में रोपित किये जाने वाले पौधे की प्रजाति के लिए आवश्यक पानी की मात्रा व अंतराल की ठीक–ठीक जानकारी संबंधित जिले के उप वनसंरक्षक से प्राप्त की जा सकती है।

P.T.O

Scanned by CamScanner

6. बड़े संस्थान जो Closed Premises के रूप में हो तथा पानी की सुविधा उपलब्ध हो, वहां पर चारदीवारी के सहारे (संस्थान के अन्दर), संस्थान के अन्दर सड़क के किनारे कम से कम 100 पौधे रोपित किये जा सकते है को वृक्षारोपण हेतु आवश्यक रूप से सम्मिलित किया जायें।
7. सड़क किनारे लगाये गये पौधो में न्यूनतम लागत समाधान (Low Cost Solution) के तौर पर लोहे के ट्री गार्ड के स्थान पर छिद्रित पाईप (Perforated Pipes) का उपयोग किया जावे अथवा अन्य स्थानीय अभ्यास (Local Practice) का कियान्वयन किया जावे।
8. अतिरिक्त प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू–संरक्षण) राजस्थान, जयपुर के पत्रांक 831–863 दिनांक 13.04.2018 द्वारा समस्त उप वन सरंक्षकगण सदस्य सचिव नियुक्त किये गये है, जो इस कार्य में पूर्ण तकनीकी सहयोग करेंगे।

संलग्नः–नगरवार पौधों का लक्ष्य।

(पवन अरोड़ा)
निदेशक एवं संयुक्त सचिव

कमांकः एफ(55)/सीई/डीएलबी/एमजेएसए–II/18/53255-536

दिनांक 22/6/18

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. विशिष्ठ सहायक, माननीय मंत्री महोदय, नगरीय विकास, आवासन एवं स्वायत्त शासन विभाग।
2. विशिष्ठ सहायक, माननीय अध्यक्ष महोदय, राजस्थान नदी बेसिन प्राधिकरण।
3. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, नगरीय विकास एवं आवासन विभाग।
4. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, वन एवं पर्यावरण विभाग।
5. निजी सचिव, शासन सचिव, स्वायत्त शासन विभाग।
6. आयुक्त, राजस्थान नदी बेसिन एवं जल संसाधन योजना प्राधिकरण राजस्थान।
7. संभागीय आयुक्त, समस्त।
8. निजी सचिव, निदेशक एवं संयुक्त सचिव, स्वायत्त शासन विभाग, जयपुर।
9. उप वन संरक्षक, समस्त को अतिरिक्त प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू–संरक्षण) राजस्थान, जयपुर के पत्रांक 831–863 दिनांक 13.04.2018 के कम में।
10. जन संपर्क अधिकारी, निदेशालय।
11. प्रोग्रामर आईटी प्रकोष्ठ, निदेशालय वेबसाईट पर अपलोड करना सुनिश्चित करें।
12. सुरक्षित पत्रावली।

(भूपेन्द्र माथुर)
मुख्य अभियंता

Scanned by CamScanner

ACTION PLAN FOR PLANTATION BY ULBs WHERE NO LAND IS AVAILABLE FOR AFFORESTATION

(Format-A)

S. N.	NAME OF TOWN:			TOTAL TARGET:			DISTRICT:	
	LOCATION OF PLANTATION PROPOSED (TO BE GEOTAGGED AFTER PLANTATION)							ESTIMATED COST (IN Rs)
	LINEAR PLANTATION ALONG ROAD SIDE/MEDIAN			PROTECTED AREAS			TOTAL PLANTS (COL. 3+6)	
	NAME	NO. OF PLANTS	AGENCY RESPONSIBLE FOR 5 Yrs O&M	NAME	NO. OF PLANTS	AGENCY RESPONSIBLE FOR 5 Yrs O&M		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1								
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
[illegible]								

Scanned by CamScanner

राजस्थान सरकार
स्वायत्त शासन विभाग राजस्थान
जी–3, राजमहल रेजीडेन्सी एरिया, सिविल लाईन फाटक के पास, जयपुर
Phone & Fax-0141- 2222403/2223239 web- www.lsgraj.org E-mail ID dlbrajasthan@gmail.com

क्रमांक एफ (55)/सीई/डीएलबी/एमजेएसए –II/18/25845 दिनांक 04/04/18

जिला कलक्टर
जयपुर

विषयः–मुख्यमंत्री जल स्वावलम्बन अभियान (नगरीय) द्वितीय चरण के अन्तर्गत वनीकरण कार्य हेतु भूमि अनुपलब्धता की स्थिति में नगरीय निकायों द्वारा वृक्षारोपण करने बाबत्।

संदर्भः–विभागीय पत्र क्रमांक 29936–969 दिनांक 13.12.2017 एवं पत्रांक 16664–16952 दिनांक 07.03.2018

उपरोक्त विषय के क्रम में संलग्न विभागीय पत्रांक एफ (55)/सीई/डीएलबी/एमजेएसए–II/18/16664–16952 दिनांक 07.03.2018 संदर्भित पत्र द्वारा नगरवार वृक्षारोपण का लक्ष्य निर्धारित किया गया था। इस विभागीय पत्र की निरन्तरता में जयपुर जिले की सांभर नगर पालिका क्षेत्र हेतु 1000 पौधों का लक्ष्य निर्धारित किया जाता है। शेष शर्ते यथावत रहेगी।

(पवन अरोड़ा)
निदेशक एवं संयुक्त सचिव

क्रमांक एफ (55)/सीई/डीएलबी/एमजेएसए/18/25846–851 दिनांक 04/04/18
प्रतिलिपी निम्न को सूचनार्थः–

1. निजी सचिव, आयुक्त, राजस्थान नदी बेसिन व जल संसाधन योजना प्राधिकरण।
2. संभागीय आयुक्त, जयपुर।
3. उपनिदेशक (क्षेत्रीय), स्वायत्त शासन विभाग, जयपुर।
4. अधिशाषी अधिकारी, नगर पालिका, सांभर।
5. जनसंपर्क अधिकारी, निदेशालय।
6. प्रोग्रामर, निदेशालय।

(भूपेन्द्र माथुर)
मुख्य अभियंता

Scanned by CamScanner

राजस्थान सरकार
निदेशालय स्थानीय निकाय, राज0 जयपुर
जी–3, राजमहल रेजीडेन्सी एरिया, सिविल लाईन फाटक के पास, जयपुर
Phone & Fax-0141- 2222403/2223239 web- www.lsgraj.org E-mail ID_ dlbrajasthan@gmail.com

क्रमांक एफ (55)/सीई/डीएलबी/एमजेएसए–II/18/16664–16952 दिनांक 07.3.2018

जिला कलेक्टर (समस्त)
राजस्थान।

विषयः–मुख्यमंत्री जल स्वावलम्बन अभियान (नगरीय) द्वितीय चरण के अंतर्गत वनीकरण कार्य हेतु भूमि अनुपलब्धता की स्थिति में नगरीय निकायों द्वारा वृक्षारोपण करने बाबत्।

सदर्भः–विभागीय पत्र क्रमांक 29936–969 दिनांक 13.12.2017

संदर्भित विषय के क्रम में मुख्यमंत्री जल स्वावलम्बन अभियान (नगरीय) द्वितीय चरण के अंतर्गत वनीकरण कार्य हेतु दिशा–निर्देश जारी किये गये थे ताकि राज्य में मुख्यमंत्री जल स्वावलम्बन अभियान के अंतर्गत पेड–पौधे लगाने व हरित क्षेत्र के संवर्धन के लिए अधिकाधिक वनीकरण कार्य किये जा सके। सभी जिलों एवं शहरों में वृक्ष कुंज साईट, शहरी वनीकरण साईट एवं वृक्षारोपण के लिए उपयुक्त जगह चिन्हित किये जाने बाबत् सभी जिलों को निर्देशित किया गया था।

इसके उपरांत भी कई शहरों में वनीकरण कार्य हेतु भूमि चिन्हित नहीं की जा सकी है। इस संबंध में निर्देशित किया जाता है कि जिन शहरों में वनीकरण हेतु किसी भी प्रकार की भूमि (वन विभाग/नगरीय निकाय/सिवाय चक/चारागाह भूमि/बंजर भूमि/अन्य राजकीय भूमि) उपलब्ध नहीं है, वहां अन्य उपयुक्त स्थान यथा स्टेडियम/शिक्षण संस्थान/चिकित्सालय/पार्क/राजकीय भवन/कार्यालय/बस शेल्टर/औद्योगिक क्षेत्र/मोक्ष धाम/धार्मिक स्थल आदि स्थानों पर पंक्तिवद्ध सघन (Row/thick) वृक्षारोपण सुनिश्चित किया जायें। इसके अतिरिक्त नगर निकायों की परिधि (Periphery) में 5–6 किलोमीटर तक महत्वपूर्ण सड़कों के किनारे दोनो ओर, मध्य (Median), रोटेरी आदि स्थानों पर पंक्तिवद्ध सघन (Row/thick) वृक्षारोपण किया जा सकता हैं। यह कार्य वन विभाग द्वारा नहीं किया जा कर, संबंधित नगर निकाय/विकास न्यास/विकास प्राधिकरण द्वारा किया जायेगा तथा इस कार्य में आगामी 4 वर्षों के लिए रख–रखाव एवं संधारण (O&M) भी नगर निकाय/विकास न्यास/विकास प्राधिकरण द्वारा किया जायेगा। वृक्षारोपण हेतु आवश्यक पौधे वन विभाग द्वारा विभाग के आदेश क्रमांक प. 9(5)वन/2016 दिनांक 16.06.2016 के अनुसार एक रूपये प्रति पौधे की दर से उपलब्ध कराये जायेगें। गत वर्ष में MJSA के अंतर्गत करवाये गये वृक्षारोपण कार्य भी रिपलेसमेंट किया जाकर शत–प्रतिशत पौधों की जीवितता सुनिश्चित की जानी है।

मुख्यमंत्री जल स्वावलम्बन अभियान (नगरीय) द्वितीय चरण में वृक्षारोपण एक अत्यन्त महत्वपूर्ण अंग है जो जल संरक्षण के साथ–साथ राज्य में हरियाली विकसित करने के लिए अनिवार्य है। अतः इस संबंध में आपसे अनुरोध है कि कृपया अपने स्तर पर यह सुनिश्चित कर लें कि वृक्षारोपण पूर्व की समस्त तैयारियां वृक्षारोपण कियान्वयन एवं जन सहभागिता के साथ ही विभिन्न स्थलों पर वन महोत्सव कार्यक्रम का आयोजन एवं रोपित किये जाने वाले संपूर्ण पौधों का रख–रखाव उच्चकोटि का होने के साथ ही निर्धारित समय पर पूर्ण हो सके।

आशा की जाती है कि मुख्यमंत्री जल स्वावलम्बन अभियान (नगरीय) द्वितीय चरण के अंतर्गत कराये जाने वाले वृक्षारोपण के कार्य आपके जिले में गुणवत्तापूर्ण एवं तत्परतापूर्वक सम्पन्न कराये जावेंगे।

संलग्नः–नगरवार पौधों का लक्ष्य।

27 MAR 2018

(डॉ. मनजीत सिंह)
प्रमुख शासन सचिव

Scanned by CamScanner

क्रमांक एफ (55)/सीई/डीएलबी/एमजेएसए–II/18/16664–16952 दिनांक 07.3.2018

प्रतिलिपि निम्न को:–

1. सचिव, माननीय मुख्यमंत्री, राजस्थान जयपुर।
2. विशिष्ठ सहायक, माननीय मंत्री, नगरीय विकास, आवासन एवं स्वायत्त शासन विभाग।
3. विशिष्ठ सहायक, माननीय अध्यक्ष, राजस्थान नदी बेसिन व जल संसाधन योजना प्राधिकरण।
4. वरिष्ठ उपसचिव, मुख्य सचिव, राजस्थान, जयपुर।
5. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, नगरीय विकास विभाग।
6. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, वन एवं पर्यावरण विभाग।
7. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, स्वायत्त शासन विभाग।
8. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, सार्वजनिक निर्माण विभाग।
9. प्रभारी सचिव (समस्त जिले)।
10. निजी सचिव, आयुक्त, राजस्थान नदी बेसिन व जल संसाधन योजना प्राधिकरण।
11. निजी सचिव, निदेशक एवं संयुक्त सचिव, स्वायत्त शासन विभाग।
12. संभागीय आयुक्त (समस्त)।
13. आयुक्त नगर निगम जयपुर/जोधपुर/कोटा/अजमेर/बीकानेर/उदयपुर/भरतपुर।
14. क्षेत्रीय उपनिदेशक (समस्त), स्वायत्त शासन विभाग।
15. मुख्य अभियंता, निदेशालय, स्वायत्त शासन विभाग।
16. आयुक्त/अधिशाषी अधिकारी नगर परिषद्/परिषद् पालिका (समस्त)।
17. जन संपर्क अधिकारी, निदेशालय।
18. प्रोग्रामर आई. टी. प्रकोष्ठ, निदेशालय को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।

(पवन अरोड़ा)
निदेशक एवं संयुक्त सचिव

Scanned by CamScanner

7.jpeg

Annexure - A

Townwise Plantation Targets under MJSA(U) Ph-II

S. No.	DISTRICT	TOWN	Plantation Target
1	Ajmer	Nasirabad	1000
2	Alwar	Alwar	2000
3		Kishangarh Bas	1000
4		Kherli	1000
5		Khairtal	1000
6		Behror	1000
7		Rajgarh	1000
8	Banswara	Banswara	2000
9		Kushalgarh	1000
10	Baran	Baran	2000
11		Mangrol	1000
12	Bhilwara	Gulabpura	1000
13	Bundi	Bundi	2000
14		Lakheri	1000
15		Indragarh	1000
16		Kapuren	1000
17		Nainwa	1000
18	Bharatpur	Bharatpur	3000
19		Roopwas	1000
20		Bayana	1000
21		Nagar	1000
22		Bhusawar	1000
23		Kaman	1000
24		Deeg	1000
25		Nadbai	1000
26		Kumher	1000
27		Weir	1000
28	Bikaner	Bikaner	3000
29		Sri Dungargarh	1000
30		Deshnok	1000
31		Napasar	1000
32		Nokha	1000
33	Chittorgarh	Rawatbata	1000
34		Begun	1000
35		Kapasan	1000
36	Churu	Churu	2000
37		Bidasar	1000
38		Chhapor	1000
39		Rajaldesar	1000
40		Ratangarh	1000
41		Ratannagar	1000
42		Sadulpur (Rajgarh)	1000
43		Sardarshahar	1000
44		Sujangarh	2000
45		Taranagar	1000
46	Dausa	Bandikui	1000
47		Mahua	1000
48	Dholpur	Rajakhera	1000
49	Dungarpur	Dungarpur	2000
50		Sagwara	1000
51	Ganganagar	Ganganagar	2000
52		Suratgarh	1000
53		Kesarisinghpur	1000
54		Padampur	1000
55		Sadulshahar	1000
56		Raisinghnagar	1000
57		Gajsinghpur	1000
58		Anupgarh	1000
59		Srikaranpur	1000
60		Vijaynagar (SGN)	1000

Scanned by CamScanner

61	Hanumangarh	Pilibanga	1000
62		Rawatsar	1000
63		Sangaria	1000
64	Jalore	Sanchore	1000
65	Jaipur	Chaksu	1000
66		Bagru	1000
67		Chomu	1000
68	Jodhpur	Bilara	1000
69		Piper City	1000
70	Jhunjhunu	Mandawa	1000
71		Pilani	1000
72		Surajgarh	1000
73	Kota	Kaitoon	1000
74	Nagaur	Nawa City	1000
75	Pali	Bali	1000
76		Sadri	1000
77		Jaitaran	1000
78		Takhtgarh	1000
79	Pratapgarh	Chhoti Sadri	1000
80	Rajsamand	Amet	1000
81		Deogarh	1000
82		Nathdawra	2000
83		Rajsamand	2000
84	Sawai Madhopur	Sawai Madhopur	1000
85	Sikar	Ramgarh (Sikar)	1000
86	Sirohi	Seoganj	1000
87		Pindwara	1000
88		Mount Abu	1000
89	Tonk	Malpura	1000
90		Niwai	1000
91	Udaipur	Shinder	1000
92		Kanor	1000
	Total		106000

Scanned by CamScanner

2016 15:46 SECY1.FOREST 1412227782 P.01

परिशिष्ट-3

राजस्थान सरकार
वन विभाग

क्रमांक प.9(5)वन/2016

आदेश

जयपुर, दिनांक : 16-06-2016

इस विभाग के आदेश क्रमांक प.15(20)वन/94 दिनांक 23.10.2012 के कम संख्या 4 पर अंकित शर्त अनुसार राजकीय विभागों, शैक्षणिक संस्थानों, भारतीय स्कॉउट एवं गाईड, एन.सी.सी. एवं स्वयं सेवी संस्थाओं/ट्रस्टों को एक रूपये प्रति पौधे की दर से अधिकतम 1000 पौधे दिये जाने का प्रावधान है। उक्त शर्त में आंशिक शिथिलता प्रदान करते हुए मुख्यमंत्री जल स्वावलम्बन अभियान के अन्तर्गत वृक्षारोपण हेतु वन विभाग द्वारा अभियान से सम्बद्ध विभागों को पौधे उपलब्ध कराये जाने की 1000 पौधों की उक्त अधिकतम सीमा से अग्रिम आदेशों तक छूट प्रदान की जाती है।

//

(योगेन्द्र कुमार दक)
शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:–

1. अतिरिक्त मुख्य सचिव, वन एवं पर्यावरण विभाग, राजस्थान जयपुर।
2. प्रमुख शासन सचिव, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज/जनस्वास्थ्य एवं अभियांत्रिकी विभाग/कृषि/उद्यानिकी विभाग, राजस्थान जयपुर।
3. शासन सचिव, जल संसाधन विभाग, राजस्थान जयपुर।
4. आयुक्त, ग्रामीण विकास विभाग (महानरेगा), राजस्थान जयपुर।
5. प्रधान महालेखाकार, राजस्थान जयपुर।
6. प्रमुख विशेषाधिकारी मुख्यमंत्री, राजस्थान जयपुर।
7. प्रधान मुख्य वन संरक्षक (एच.ओ.एफ.एफ), राजस्थान जयपुर को प्रेषित कर निवेदन है कि आप अपने स्तर से समस्त वनाधिकारियों को प्रति उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
8. संभागीय आयुक्त, अजमेर/भरतपुर/जयपुर/कोटा/बीकानेर/जोधपुर/ उदयपुर।
9. आयुक्त, जलग्रहण विकास एवं भू-संरक्षण विभाग, राजस्थान जयपुर।
10. समस्त जिला कलेक्टर......................
11. विशिष्ट सहायक, वनमंत्री, राजस्थान जयपुर।
12. निजी सचिव, मुख्य सचिव, राजस्थान जयपुर।
13. निजी सचिव, अध्यक्ष, राजस्थान रिवर बेसिन एण्ड वाटर प्लानिंग ऑथोरटी, राजस्थान जयपुर।

(कुमार स्वामी गुप्ता)
विशेषाधिकारी, वन

D:\office matter\9(5)\b bi letr.docx

https://mail.google.com/mail/u/2/?tab=wm#inbox/16426829719b649b?projector=1&messagePartId=0.4

Scanned by CamScanner

राजस्थान सरकार
स्वायत्त शासन विभाग राजस्थान

जी–3, राजमहल रेजीडेन्सी एरिया, सिविल लाईन फाटक के पास, जयपुर
Phone & Fax-0141- 2222403/2223239 web- www.lsgraj.org E-mail ID- dlbrajasthan@gmail.com

क्रमांक एफ (55)/सीई/डीएलबी/एमजेएसए/फेज–2/17/29936–969 दिनांकः 13/12/17

जिला कलक्टर (समस्त),
राजस्थान।

विषय :– मुख्यमंत्री जल स्वावलम्बन अभियान(नगरीय) द्वितीय चरण के अन्तर्गत वनीकरण कार्य हेतु दिशा–निर्देश जारी करने बाबत्।

जैसा कि आपको विदित है कि राज्य के नगरीय क्षेत्रों में मुख्यमंत्री जल स्वावलम्बन अभियान (नगरीय) द्वितीय चरण का प्रारम्भ दिनांक 01.01.2018 को हो रहा है और इस अभियान के तहत जल संरक्षण एवं वनीकरण के कार्य किये जाने है। राज्य में मुख्यमंत्री जल स्वावलम्बन अभियान के अन्तर्गत पेड पौधे लगाने व हरित क्षेत्र के संवर्धन के लिये वनीकरण कार्य किया जाना आवश्यक है जिसका क्रियान्वयन वन विभाग द्वारा किया जा रहा है। माननीया मुख्यमंत्री महोदया द्वारा अभियान की समीक्षा दिनांक 04.12.2017 को की गई एवं अधिक से अधिक पेड पौधे लगाने व हरित क्षेत्र के संवर्धन पर बल दिया गया। दिनांक 06.12.2017 को आयोजित वीडियो कॉन्फ्रेंस में माननीय अध्यक्ष राजस्थान नदी बेसिन व अतिरिक्त मुख्य सचिव वन एवं पर्यावरण विभाग द्वारा भी अधिकाधिक वृक्षारोपन हेतु निर्देश दिये गये। अतः राज्य के समस्त शहरों में अधिकाधिक पेड पौधे लगाने व हरित क्षेत्र के संवर्धन सुनिश्चित करने हेतु निम्नानुसार निर्देश जारी किये जाते है–

1. सभी जिलों एवं शहरों में वृक्ष कुंज साईट, शहरी वनीकरण साईट एवं वृक्षारोपण के लिये उपयुक्त जगह चिन्हित की जाये।
2. जिन शहरो में वन विभाग और नगरीय निकाय के पास वनीकरण हेतु भूमि उपलब्ध है, वहाँ 2 से 5 हैक्टेयर (किसी भी स्थिति में एक हैक्टेयर से कम न हो) भूमि का चिन्हीकरण कर वन विभाग से वनीकरण के प्रस्ताव प्राप्त कर निदेशालय स्वायत्त शासन विभाग को प्रेषित किया जाये।
3. जिन शहरो में वन विभाग और नगरीय निकाय के पास वनीकरण हेतु भूमि उपलब्ध नहीं है,वहां सिवाय चक/चारागाह भूमि/बंजर भूमि/अन्य राजकीय भूमि वनीकरण हेतु नगरीय निकाय के नाम हस्तान्तरित की जाये एवं शहरी वनीकरण हेतु वन विभाग से प्रस्ताव प्राप्त कर निदेशालय स्वायत्त शासन विभाग को प्रेषित किया जाये।
4. जिन शहरो में वनीकरण हेतु किसी भी प्रकार की भूमि उपलब्ध नही है, वहां अन्य उपयुक्त स्थान यथा स्टेडियम/शिक्षण संस्थान/चिकित्सालय/पार्क/राजकीय भवन/कार्यालय/बस शेल्टर/औद्योगिक क्षेत्र/मोक्ष धाम/धार्मिक स्थल आदि स्थानो पर पंक्ति बद्ध सघन (Row/Thick) वृक्षारोपण किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त नगर निकायों की परिधि(Periphery) में 5–6 किलोमीटर तक महत्वपूर्ण सडको के किनारे दोनो ओर, मध्य(Median), रोटरी आदि स्थानों पर पंक्ति बद्ध सघन (Row/Thick) वृक्षारोपण किया जा सकता है।
5. 29 शहरो में वनीकरण हेतु भूमि चिन्हित तो कर ली गयी है परन्तु वनीकरण के प्रस्ताव नही भेजे गये है। अतः तीन दिवस में निदेशालय स्वायत्त शासन विभाग को वनीकरण प्रस्ताव प्रेषित किये जाये।

संलग्न:– 1. भूमि चिन्हित किये गये 29 शहरों की सूची।
2. चिन्हित किये जाने वाले 18 शहरों की सूची।
3. भूमि अनुपलब्धता वाले 50 शहरों की सूची।

(डॉ0मनजीत सिंह) 13/12/17
प्रमुख शासन सचिव

क्रमांक एफ (55)/सीई/डीएलबी/एमजेएसए/फेज–2/17/29970–30365 दिनांकः

प्रतिलिपि निम्न को :–
1. सचिव, माननीया मुख्यमंत्री राजस्थान, जयपुर।

Scanned by CamScanner

2. विशिष्ट सहायक, माननीय मंत्री, नगरीय विकास, आवासन एवं स्वायत्त शासन विभाग।
3. प्रभारी मंत्री (समस्त जिले)।
4. विशिष्ट सहायक, माननीय अध्यक्ष, राजस्थान नदी बेसिन व जल संसाधन योजना प्राधिकरण।
5. वरिष्ठ उपसचिव, मुख्य सचिव राजस्थान, जयपुर।
6. अतिरिक्त मुख्य सचिव, वन एवं पर्यावरण विभाग/नगरीय विकास विभाग/सानिवि।
7. [illegible] शासन सचिव, कृषि एवं उद्यान विभाग/जन स्वा.अभि. एवं भूजल विभाग।
8. [illegible], प्रमुख शासन सचिव, स्वायत्त शासन विभाग।
9. [illegible] (समस्त जिले)
10. [illegible], आयुक्त, राजस्थान नदी बेसिन व जल संसाधन योजना प्राधिकरण।
11. [illegible] निदेशक एवं संयुक्त सचिव, स्वायत्त शासन विभाग।
12. [illegible] आयुक्त (समस्त)।
13. आयुक्त [illegible] नगर निगम [illegible]/जोधपुर/कोटा/अजमेर/बीकानेर/उदयपुर/भरतपुर।
14. [illegible] उपनिदेशक (क्षेत्रीय) स्वायत्त शासन विभाग।
15. मुख्य अभियंता, निदेशालय, स्वायत्त शासन विभाग।
16. आयुक्त/अधिशासी अधिकारी नगर परिषद/पालिका (समस्त)।

निदेशक एवं संयुक्त सचिव

Scanned by CamScanner